-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 25.06.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मामूली विवाद में जान से मारने की नियत से लाइसेंसी बंदूक से फायर कर लोगों को घायल करने वाले 02 वांछित अभियुक्तों (पिता-पुत्र) को किया गया गिरफ्तार।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के के क्रम में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मामूली विवाद में व्यक्ति के साथ मारपीट कर जान से मारने की नियत से लाइसेंसी बंदूक से फायर कर चार लोगों को घायल करने वाले 02 वांछित अभियुक्तों (पिता-पुत्र) को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि दिनांक 26.10.2025 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम पचनेही की रहने वाले महेश पुत्र बंशी ने थाना कोतवाली देहात पर सूचना दी कि दिनांक 24.10.2025 को गांव के ही रहने वाले कुछ लोगों द्वारा उसके साथ लाठी-डंडो से मारपीट की गई तथा लाइसेंसी बंदूक से जान से मारने की नियत से उसके ऊपर कई बार फायर कर दिया जिससे उसके पिता व भाई को पैर में गोली लग गई साथ ही मोहल्ले के अन्य दो लोग भी घायल हो गए थे। जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा अभियुक्त काफी समय से फरार चल रहे थे जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में आज दिनांक 25.06.2026 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा दो अभियुक्तों को ग्राम पचनेही स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया तथा घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी बन्दूक भी बरामद किया गया है। दोनों अभियुक्तों को नियमानुसार मा0 न्यायालय भेजा गया। साथ अभियुक्त के शस्त्र लाइसेंस के निरस्तीकरण हेतु सम्बन्धित विभाग को भी रिपोर्ट प्रेषित किया गया है।

बरामदगी-

- 01 लाइसेंसी बन्दूक 12 बोर (घटना में प्रयुक्त)
- 01 शस्त्र लाइसेंस

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. बिंदादीन पुत्र शिवदर्शन निवासी पचनेही थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।
2. पिंटू उर्फ जय पुत्र बिंदादीन निवासी पचनेही थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 304/25 धारा 109/191(2)/191(3)/115(2)/352/117(2) बीएनएस व 27/30 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त पिंटू उर्फ जय उपर्युक्त-

1. मु0अ0सं0- 293/23 धारा 147/323/452/504/506 थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री संजीव कुमार चौबे थानाध्यक्ष कोतवाली देहात
2. श्री दुर्विजय सिंह चौकी प्रभारी महोखर
3. कां0 ऋषिराज
4. रि0कां0 श्याम सुन्दर
5. म0कां0 शबाना आजमी